उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991

भाग-एक

प्रारम्भिक

"1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. लागू होना-यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तो के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

3. अध्यारोही प्रभाव-यह नियमावली इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

4.परिभाषाएं-जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में ''नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है,

(ग) ''आयोग" का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है,

(घ) ''समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा मे नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है,

(ड.) ''पोषक संवर्ग" का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय,

(च) ''सेवा" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है,

(छ) " सेवा नियमावली" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गई नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों से है,

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो

ज्येष्ठता का अवधारण

5. **उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाए-** जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है,

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर यह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण-जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक–पृथक चयन किए जाए तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा।

6. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाए- जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण- पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गई हो, उस सवंर्ग में

जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

7. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गो से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जायं- जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गो से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक सवंर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण- जहां पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश् जारी किये जाने के दिनांक से होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हो तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

8. उस स्थिति में ज्येष्ठता तब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जायें-जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगाः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप - (क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी हो,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तो के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जायें वहां पदोन्नत व्यक्तियों की सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो श्रोतो के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त - (1) जहाँ पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी-

प्रथम -------पदोन्नति व्यक्ति,

द्वीतीय ------- सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहाँ उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी-

प्रथम ----------पदोन्नति व्यक्ति,

द्वीतीय से चतुर्थ तक -----सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति,

पांचवाँ ----------पदोन्नति व्यक्ति,

छठा से आठवाँ ----------सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भीः

प्रतिबन्ध यह है कि-

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से अधिक की जाये, वहाँ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियाँ हों।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हो, और ऐसी न भरी गई-रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाए, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नही पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाएं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्त्रोत से बिना भरी गई रिक्तियाँ अन्य स्त्रोत से भरी जायें और कोटा से अधिक नियुक्तियाँ की जायें वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानो वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

8-क- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को पारिमाणिक ज्येष्ठता की हकदार-

इस नियमावली के नियम 6, 7 या 8 में किसी बात के होते हुये भी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर, अपनी पदोन्नति पर पारिमाणिक ज्येष्ठता का भी हकदार होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न श्रेणी के व्यक्ति को बाद में पदोन्नत होने पर पूर्व में पदोन्नत हुये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से ज्येष्ठता

सूची में कनिष्ठ रखे जायेंगे, भले ही पदोन्नति आरक्षण के नियम के आधार पर हुई हो।

भाग–तीन
ज्येष्ठता सूची

9. ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना- (1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात यथासंभव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।

(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरूद्ध कोई आपित्त ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपित्तयों का निस्तारण करने के पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाये, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

ज्येष्ठता नियमावली के पूर्वोक्त उपबन्धों से ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त सुस्पष्ट एवं निश्चित हो गये हैं। यह नियमावली इससे पूर्व की सेवा नियमावलियों के उपबन्धों पर अभिभावी है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवक की सेवा नियमावली में ज्येष्ठता निर्धारण का कोई अन्यथा उपबन्ध रहा हो तो भी उसकी ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता

नियमावली, 1991 के पूर्व चर्चित उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जायेगी, किन्तु दिनांक 20.03.91 के पश्चात किसी सेवा नियमावली में ज्येष्ठता निर्धारण का कोई अन्यथा उपबन्ध किया गया हो तो उसी उपबन्ध के अनुरूप ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी। "उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता, वर्ष 1991 की ज्येष्ठता नियमावली के अनुरूप निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जायेगी:

(1) **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण**- जब सेवा नियमावली में किसी पद पर सिर्फ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करने का उपबन्ध हो तो किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन सूची में दर्शित हो। पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए सरकारी सेवक पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त सरकारी सेवकों से कनिष्ठ होंगे। यदि एक ही वर्ष में नियमित एवं आपात-भर्ती के लिए अलग-अलग चयन किये गये हो तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन, पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा तथा उस चयन के फलस्वरूप नियुक्त सेवक ज्येष्ठ होंगे।

जब तदर्थ नियुक्ति की गयी हो तो संगत विनियमितीकरण नियमावली अथवा संगत सेवा नियमावली के अधीन तदर्थ सेवकों की नियमित नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। यदि एक ही तिथि को कई तदर्थ सेवकों का विनियमितीकरण हुआ हो तो नियमित नियुक्ति के आदेश में जिस क्रम में उनके नाम अवस्थित हों, उसी क्रम में उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी।

(2) **सिर्फ एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण**-जब एक ही पोषक संवर्ग के सेवकों को उच्च पद पर, पदोन्नति द्वारा, नियुक्त किया गया हो तो उच्च पद पर

नियुक्त सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी। यदि पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ सेवक की पदोन्नति से पूर्व उससे कनिष्ठ सेवक को पदोन्नत कर दिया गया हो तो ज्येष्ठ सेवक पदोन्नत होने पर पुनः वही ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

(3) **अनेक पोषक संवर्गो से सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण**- (क) जब सेवा नियमावली में दो या अधिक पोषक संवर्गो से सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने का उपबन्ध हो तब किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिस तिथि को वे सेवक अपने-अपने पोषक संवर्ग में मौलिक रूप से नियुक्त हुए थे।

उदाहरण-मेडिकल कालेज में प्रोफेसर (सर्जरी) के दो पदो पदोन्नति द्वारा रीडर (सर्जरी), रीडर (प्लास्टिक सर्जरी), रीडर (कार्डियक सर्जरी) के पोषक संवर्गो में से नियुक्ति का प्रावधान है। इन दोनो पदों के लिए एक ही चयन के परिणामस्वरूप डा0 राम, रीडर (सर्जरी) एवं डा0 श्याम, रीडर (प्लास्टिक सर्जरी) को चयनित किया गया । डा0 राम को प्रोफेसर (सर्जरी) के एक रिक्त पद पर दिनांक 1-1-98 को नियुक्त किया गया तथा डा0 श्याम को दिनांक 1-2-98 को, प्रोफेसर (सर्जरी) का दूसरा पद रिक्त होने पर, नियुक्त किया गया । डा0 राम की रीडर के पद पर मौलिक नियुक्ति दिनांक 1-1-90 को हुई थी जब कि डा० श्याम की रीडर के पद पर मौलिक नियुक्ति दिनांक 1-12-89 को हुई थी। अतः प्रोफेसर के पद पर उनकी ज्येष्ठता इस पद पर उनकी नियुक्ति की उक्त चर्चित तिथियों के अनुसार नहीं होगी बल्कि रीडर के पद पर

उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी एवं डा0 श्याम प्रोफेसर (सर्जरी) के पद पर डा0 राम से ज्येष्ठ होंगे।

(ख) यदि पोषक संवर्ग में वेतनमान भिन्न-भिन्न रहा हो तो मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण नहीं किया जाएगा, अपितु पोषक संवर्ग के वेतनमान के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। पोषक संवर्ग में जिस सेवक का वेतनमान उच्चतर रहा हो वही ज्येष्ठ होगा।

उदाहरण- पूर्वोक्त उदाहरण में यदि रीडर (सर्जरी) के पद का वेतनमान रू0 3200 से 4700 रहा हो तथा रीडर (प्लास्टिक सर्जरी) के पद का वेतनमान रू0 3000 से 4500 रहा हो तो प्रोफेसर (सर्जरी) के पद पर डा0 राम ज्येष्ठ होंगे क्योंकि पोषक संवर्ग में उनका वेतनमान डा0 श्याम के वेतनमान से उच्चतर था।

(ग) किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, पश्चातवर्ती, चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा। अतः अलग-अलग चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में ज्येष्ठता के निर्धारण के लिए पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि या वेतनमान आधार नहीं होगा।

उदाहरण- पूर्वोक्त उदाहरण में यदि डा० राम की प्रोफेसर (सर्जरी) के पद पर नियुक्ति वर्ष 1996 में हुए चयन के परिणामस्वरूप हुई हो तथा डा० श्याम की प्रोफेसर (सर्जरी) के पद पर नियुक्ति वर्ष 1995 में हुए चयन के परिणामस्वरूप हुई हो तो प्रोफेसर के पद पर डा० श्याम ज्येष्ठ होंगे क्योंकि वह पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त हुए थे।

(4) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति, दोनों स्रोतो, द्वारा नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण- जब सेवा नियमावली में किसी पद पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति, दोनों स्रोतो, द्वारा नियुक्ति करने का उपबन्ध हो तब इन दोनों

स्रोतो से नियुक्ति दोनों व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश की तिथि से निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जाएगीः-

(क) यदि एक ही साथ दो या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हो तो जिस क्रम में नियुक्ति आदेश में उनके नाम रखें गये हैं उसी क्रम में उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी।

(ख) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो लोक सेवा आयोग अथवा चयन समिति द्वारा तैयार की गयी "योग्यता सूची" में दिखायी गयी हो।

(ग) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, यथास्थिति, एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारण, अथवा अनेक पोषक संवर्गो से पदोन्नत द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारण, के पूर्व चर्चित सिद्धान्तों के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।

(घ) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति तथा सीधी भर्ती, दोनो श्रोतों से, नियुक्तियां की जाएं तो नियुक्त किये गये व्यक्तियों के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण दोनों श्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में किया जायेगा। इस चक्रानुक्रम में प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा।

उदाहरण- जब पदोन्न्त एवं सीधी भर्ती का कोटा 1:3, अनुपात में हो तो ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में निर्धारित की जाएगी।

प्रथम - पदोन्नत व्यक्ति

द्वितीय- सीधी भर्ती वाला व्यक्ति

तृतीय - सीधी भर्ती वाला व्यक्ति

चतुर्थ - सीधी भर्ती वाला व्यक्ति

पंचम - पदोन्नत व्यक्ति

षष्टम - सीधी भर्ती वाला व्यक्ति

सप्तम- सीधी भर्ती वाला व्यक्ति

अष्टम- सीधी भर्ती वाला व्यक्ति

नवम - पदोन्नत व्यक्ति

(5) जब किसी श्रोत से विहित कोटा से कम या अधिक नियुक्तियां की गयी हों तो ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जायेगाः-

(क) जहां किसी श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों।

(ख) जहां किसी श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे, किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाए किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(ग) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में, किसी श्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य श्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जाएं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

2. ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त-उच्चतम न्यायालय की विभिन्न निर्णयजविधियों द्वारा प्रतिपादित ज्येष्ठता निर्धारण के सुप्रतिष्ठित सिद्धान्त निम्नवत हैः-

1. मौलिक नियुक्ति, चाहें स्थायी पद पर हो अथवा अस्थायी पद पर, की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित होगी।

2. नियमानुसार की गई नियुक्ति अर्थात मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता, नियमानुसार नियमित चयन के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी।

3. जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नियमानुसार नियुक्त किया जाये तो उसकी ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं।

4. ज्येष्ठता का आगणन, नियुक्ति की तिथि से किया जायेगा, पद्ग्रहण करने की तिथि से नहीं।

5. ज्येष्ठता निर्धारण के लिए स्थानापन्न अवधि को आगणित नही किया जायेगा।

6. जब कई चयन हुए हों तब उसके फलस्वरूप नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता चयन की तिथि से नियत की जायेगी। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त किये गये हों, वे पश्चातवर्ती चयन के फलस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

7. एक व्यक्ति का चयन, सीधी भर्ती द्वारा, सन् 1977 में हो गया था लेकिन उसे, उसकी किसी गलती के बिना, सन् 1981 में नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा किया कि वह सन् 1977 की चयन सूची के अनुसार ज्येष्ठता पाएगा।

8. पूर्ववर्ती चयन में असफल अभ्यर्थियों को, पश्चातवर्ती चयन में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरान्त, नियुक्त कर दिये जाने पर वे, पश्चातवर्ती चयन वाले अभ्यर्थियों के ऊपर ज्येष्ठता प्राप्त नही कर सकते हैं।

9. नियमों में नियत प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना की गयी तदर्थ नियुक्ति के उपरान्त तदर्थ सेवक का नियमित चयन हो जाने पर तदर्थ

सेवक की सेवा अवधि की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही किया जाएगा।

10. जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति तदर्थ ढंग से हुई हो, नियमानुसार न हुई हो तथा अल्पकालिक व्यवस्था के लिए की गई हो तब ऐसे पद पर स्थानापन्न अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही किया जायेगा।

11. तदर्थ ढंग से या स्थानापन्न रूप से की गयी नियुक्ति या प्रोन्नति की अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही किया जा सकता है। तदर्थ सेवकों की ज्येष्ठता का आगणन, उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया जायेगा।

12. पूर्वगामी तिथि से नियुक्ति करके "काल्पनिक ज्येष्ठता" प्रदान करना अवैध है, विशेषकर जब इसके परिणामस्वरूप सेवा में विद्यमान व्यक्तियों की ज्येष्ठता प्रभावित होती हो।

13. सरकारी सेवा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का नियम, ज्येष्ठता प्रदान नही करता है।

14. प्रोन्नति के मामले में ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक प्रोन्नति की तिथि से होगा, स्थानापन्न प्रोन्नति की तिथि से नहीं।

15. स्थानापन्न प्रोन्नति की निरन्तरता में चयन के उपरान्त नियमित प्रोन्नति होने की दशा में ज्येष्ठता से उस तिथि से आगणित की जायेगी। जिस तिथि को चयन समिति ने नियमानुसार चयन सूची में उसका नाम रखा।

16. जब किसी सेवा में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति, दोनो, द्वारा भर्ती का प्रावधान हो तथा सीधी भर्ती के कोटा के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती कर ली गयी हो तो प्रोन्नत सेवकों की ज्येष्ठता उस पश्चातवर्ती तिथि से आगणित की जायेगी जिस तिथि को पदोन्नति के कोटा में पद उपलब्ध

हो जाए। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवक को उसके कोटा के पद की उपलब्धता के आधार पर पहले से ज्येष्ठता मिल जायेगी।

17. अजीत कुमार रथ एवं अन्य को सहायक अभियन्ता के पद पर, तदर्थ रूप से उपलब्ध, रिक्ति के सापेक्ष सेवा नियमों के अनुरूप चयन करके 7.8.72 को, प्रोन्नत किया गया था। उसके पश्चात उड़ीसा राज्य लोक सेवा आयोग की सहमति से उन्हें दिनांक 17.7.76 के आदेश से नियमित प्रोन्नति प्रदान की गयी। दिनांक 7.1.72 से 12.9.72 के बीच प्रतिपक्षी सं०-2 से 11 तक सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये थे। उसके पश्चात प्रोन्नत एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्तागण के बीच ज्येष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि श्री अजीत कुमार रथ एवं अन्य अपीलार्थी की प्रोन्नति यद्यपि तदर्थ / अनंतिम थी तथापि सेवा नियमों के अनुरूप, आयोग की सहमति के अध्यासीन, की गयी थी एवं बाद में आयोग ने भी उनकी प्रोन्नति पर सहमति दे दिया था। अतः 1972 से 1976 तक की उनकी सम्पूर्ण तदर्थ सेवा, ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित की जायेगी। तद्नुसार प्रोन्नत अभियन्तागण, उक्त चर्चित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्तागण से ज्येष्ठ है।

18. एक संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के उपरान्त, पदोन्नति द्वारा भर्ती करते समय पूर्वगामी तिथि से पदोन्नत किया गया तथा उन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवकों से ज्येष्ठ कर दिया गया, जबकि उस पूर्व तिथि को वे संवर्ग में थे ही नहीं। उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा किया कि प्रोन्न्त सेवको को ज्येष्ठ बनाना गलत है, जब वे संवर्ग में थे ही नही तो उन्हें पूर्वगामी तिथि से प्रोन्नत नही किया जा सकता था।

19. "क" को सहायक निदेशक के पद पर दिनांक 27.9.80 को तदर्थ ढंग से प्रोन्न्त किया गया था। "ख" को सहायक निदेशक के पद पर लोक

सेवा आयोग के चयन के उपरान्त सीधी भर्ती द्वारा दिनांक 29.9.80 को नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "ख" को "क" से ज्येष्ठ माना जायेगा।

20. यदि आरक्षित वर्ग का सेवक, आरक्षण के कारण, सामान्य वर्ग के अपने से ज्येष्ठ सेवक से पहले, उच्च पद पर प्रोन्न्त हुआ हो तो जब वह ज्येष्ठ सेवक उस पद पर प्रोन्नत होगा तो वह अपनी ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा।

अतः आरक्षण का नियम "त्वरित प्रोन्नति" तो प्रदान करता है, परन्तु या त्वरित या परिणामी ज्येष्ठता प्रदान नही करता।

21. ज्येष्ठता का विनिश्चिय करने के लिए सम्पूर्ण सेवा अवधि सुसंगत नही होती है, बल्कि एक विशिष्ट वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में की गई सेवा अवधि ज्येष्ठता निर्धारण के लिए सुसंगत होती है। दूसरे शब्दों में पैतृक विभाग में समतुल्य पद धारण किये होने अवधि ज्येष्ठता निर्धारण के प्रयोजनार्थ सुसंगत अवधि है।

22. जब कोई सरकारी सेवक कोई विशिष्ट पद धारण कर रहा हो तथा उसे किसी अन्य सरकारी विभाग में उसी या उसके समान पद पर अन्तरित कर दिया जाये तब अन्तरण से पूर्व की गई सेवा अवधि को अन्तरण के पश्चात धारित पद पर ज्येष्ठता अवधारित करने पर विचार में लिया जायेगा। सेवा अन्तरण उसकी पूर्व सेवा अवधि को समाप्त नही कर सकता है। जहां विभिन्न् श्रोतों से कार्मिकों को भर्ती करके एक नयी सेवा बनायी गई हो वहां उन कार्मिकों के पैतृक विभाग में उनके द्वारा की गई सेवा को नए सेवा संवर्ग में ज्येष्ठता आगणित करते समय विचार में लिया जायेगा।

23. देवराज गुप्ता बनाम पंजाब राज्य के मामले में देवराज गुप्ता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में, सन् 1967 में, लिपिक के पद

पर नियुक्त किया गया था। सन् 1976-77 में उपायुक्त, आबकारी एवं कर के कार्यालय में लिपिक का एक पद रिक्त हुआ था। श्री गुप्ता ने उस पद पर नियुक्त हेतु आवेदन किया एवं नियमानुसर चयन के पश्चात उसे आदेश दिनांकित 4.1.77 द्वारा उस पद पर नियुक्त किया गया। उपायुक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उसने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में की गई पूर्व की सेवाओं को, ज्येष्ठता के प्रयोजन हेतु, जोड़ने की मांग किया। जब उसकी यह मांग स्वीकार नही की गई जब उसने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया जो खारिज हो गयी। तदुपरान्त उसने उच्चतम न्यायालय में अपील किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय के विभिन्न पदों पर भर्ती को विनियमित करने हेतु, भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत,सेवा नियमावली प्रवृत्त है जिसके नियम-10 में ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु इस आशय का प्रावधान है कि सेवा के सदस्यों की पारस्परिक ज्येष्ठता सेवा मे उनकी निरन्तर नियुक्ति की तिथि से अवधारित की जाएगी। इस प्रावधान को देखते हुए श्री गुप्ता द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में की गयी सेवा-अवधि को, ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए जोड़ा नही जा सकता है उसने नियुक्ति आदेश दिनांक 4.1.77 के आधार पर उपायुक्त कार्यालय की सेवा आरम्भ किया था। अतः उस तिथि से पूर्व किसी विभाग या संगठन में की गई सेवा को उपायुक्त कार्यालय की सेवा में ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिए जोड़ा नही जा सकता है।

24. ए०सी० थलवाल बनाम उच्च् न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के मामले में भारतीय शस्त्र सेना के सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में रिक्तियों का आरक्षण नियमावली, 1975, उच्च न्यायालय के परामर्श से पांच वर्ष के लिए बनायी गई थी। जब अप्रैल,

1980 में इसकी अवधि समाप्त हो गयी तब राज्य सरकार ने इस नियमावली की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय को प्रेषित किया किन्तु उच्च न्यायालय ने असहमति संसूचित कर दिया। तदुपरान्त राज्य सरकार ने सन 1981 में एक नयी नियमावली, उच्च न्यायालय से परामर्श किये बगैर, बना दिया। जब उच्च् न्यायालय के संज्ञान में यह नियमावली लायी गयी तो उच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व की असहमति के बावजूद नियमावली बनाये जाने पर आपत्ति संसूचित किया। किन्तु सरकार ने कोई प्रतिउत्तर नही दिया एवं इस नियमावली के अधीन आरक्षण किया जाता रहा, तथा ज्येष्ठता आदि का लाभ दिया जाता रहा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-234 के उपबन्ध के अनुसार राज्यपाल द्वारा, लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय से परामर्श करने के उपरान्त बनायी गयी नियमावली के अनुरूप राज्य सरकार की न्यायिक सेवा में नियुक्तियां की जाएंगी। यह परामर्श किया जाना अनिवार्य है। इस अनुच्छेद की अपेक्षानुसार उच्च न्यायालय से परामर्श किये बगैर बनायी गयी नियमावली असंवैधानिक एवं निष्प्रभावी है एवं इसके अधीन अपीलार्थीगण को ज्येष्ठता का जो लाभ दिया गया है वह भी निष्प्रभावी है।

25. प्रतिनियुक्ति पर जाने मात्र से सेवक, मूल विभाग में अपनी ज्येष्ठता को नही खोता है, उसकी ज्येष्ठता यथावत बनी रहेगी।

26. ज्येष्ठता निर्धारण का कोई नियम या प्रशासनिक निर्देश न हो तो "निरन्तर सेवा काल" के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

27. किसी संवर्ग में कर्मचारियों की ज्येष्ठता नियमों के अनुरूप अवधारित की जायेगी यदि उन नियमो में ज्येष्ठता के बारे में उपबन्ध हो, अन्यथा डायरेक्ट रिक्रूट क्लास-II इन्जीनियरिंग आफिसर्स

एशोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एस०सी०सी० 715 में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर ज्येष्ठता अवधारित की जा सकती है।

28. किसी कर्मचारी को संवर्ग में अपनी ज्येष्ठता, अपनी नियुक्ति की तिथि को प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अवधारित कराने का अधिकार प्राप्त होता है। कर्मचारीगण की ज्येष्ठता,बार-बार, जब कभी ज्येष्ठता निर्धारण का मानदण्ड परिवर्तित होवें, पुनर्निर्धारित नही की जाएगी।

29. ज्येष्ठता में मनमाना परिवर्तन करने से संविधान के अनुच्छेद 16 एवं सरकारी सेवक के सिविल अधिकार का अतिक्रमण होता है।

30. यदि किसी सेवा-संवर्ग में, कोटा के आधार पर भर्ती के दो श्रोत हो तो कार्मकों को पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण कोटा के अनुरूप किया जायेगा।

यह सिद्धान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 के नियम 8 के उप नियम (3) में उदाहरण संहित अंगीकृत है।

31. जी० दीनदयालन अम्बेडकर बनाम भारत संघ के मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 28.6.85 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया था। चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त जाँच लम्बित होने के कारण कुछ कनिष्ठ चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 23.12.85 को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। प्रशिक्षण के उपरान्त उन्होंने दिनांक 27.6.86 को पदभार ग्रहण कर लिया। चयन सूची में मेरिट क्रम में उनसे उपर अवस्थित व्यक्तियों को दिनांक 20.7.86 को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जिन्होंने प्रशिक्षण के उपरान्त दिनांक 19.1.87 को पदभार ग्रहण किया। ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय पूर्व प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बाद में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से ज्येष्ठ होने की मांग किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भर्ती बोर्ड द्वारा तैयार किया गया मेरिटक्रम बनाये रखना चाहिये तथा चयनित अभ्यर्थियों

की पारस्परिक ज्येष्ठता उसी के अनुसार बनायी रखी जानी चाहिये। अतः पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने मात्र से चयन सूची में नीचे अवस्थित अभ्यर्थी, मेरिटक्रम में ऊपर अवस्थित अभ्यर्थियों से ज्येष्ठ नही होगे।

अतः यह विधि सुप्रतिष्ठित है कि आयोग अथवा चयन समिति द्वारा जिस मेरिटक्रम में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की गयी है उसी क्रमानुसार उन अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता अवधारित की जाएगी।

32. देवेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम मिजोरम राज्य के मामलें मे तथ्य इस प्रकार थे कि अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 6.10.88 को हुई थी। जिसमें श्री शर्मा को अनुपयुक्त पाया गया था, उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया एवं उन्हें दिनांक 20.10.88 को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि श्री शर्मा किसी पश्चातवर्ती चयन में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाएं तो भी वह उन अधिकारियो से ज्येष्ठ नही हो सकते जिन्हें पूर्ववर्ती चयन में उपयुक्त पाने के उपरान्त प्रोन्नत किया जा चुका है। उच्च पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त निचले पद की ज्येष्ठता महत्वहीन हो जाती है।

33. रामनरेश त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली, 1966 के संगत नियमों के सदर्भ में अवधारणा किया है कि ऐसे तदर्थ कर्मचारियों को, जिन्हें लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरान्त विनियमित किया जाए, नियमित ढंग से नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ नही किया जा सकता है। तदर्थ कर्मचारियों की ज्येष्ठता उनके विनियमितीकरण की तिथि से अवधारित की जायेगी।

तदर्थ नियुक्ति नियमानुसार की गयी नियुक्ति नही होती है अतः ऐसी नियुक्ति के आधार पर की गई अस्थायी सेवा को ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में सहायक निदेशक, उद्योग के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने का नियम था। दिनांक 27.9.80 को तदर्थ रूप से प्रोन्नति देकर कुछ व्यक्तियों को सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया गया जबकि लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा,दिनांक 29-9-80 को नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति, तदर्थ रूप से प्रोन्नत किये गये व्यक्तियों से, ज्येष्ठ होंगे।

34. भारतीय खाद्य निगम बनाम थानेश्वर कालिता एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि नियुक्तियां नियमानुसार की गई हों, भले ही आरम्भ में तदर्थ आधार पर की गई हो, एवं लम्बी अवधि तक जारी रखी गई हों तो उनकी सेवा का विनियमतीकरण करने पर अस्थायी सेवा की सम्पूर्ण अवधि, ज्येष्ठता के लिए आगणित की जायेगी। यदि विहित कोटा से अधिक नियुक्तियां की गयी हों तब अस्थायी / स्थानापन्नता की अवधि को ज्येष्ठता के लिए आगणित नही किया जाएगा तथा जो व्यक्ति विहित कोटा से अधिक संख्या में नियुक्त किये गये हैं वे ज्येष्ठता के लिए, सम्पूर्ण सेवा अवधि की गणना कराने के हकदार नही होंगे।

पूर्वोक्त निर्णयजविधि से प्रकट होता है कि तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये कार्मिक की ज्येष्ठता निर्धारित करते समय अस्थायी/ स्थानापन्न सेवा अवधि को, निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होने पर, आगणित किया जाएगा-

(1) उसकी नियुक्ति नियमानुसार हुई हो,

(2)उसकी नियुक्ति विहित कोटा के अन्दर हुई हो,

(3)वह कार्मिक लम्बी अवधि तक तद्नुसार कार्यरत रहा हो,

(4)उसकी तदर्थ सेवा को विनियमित कर दिया गया हो।

35. केशव देव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, श्री केशव देव एवं अन्य लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त किये गये थे। दिनांक 30.5.79 को उन्हें तदर्थ आधार पर, प्रोन्नत के लिए विहित कोटा के अन्दर, सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया गया था। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन कराने के उपरान्त उनकी उक्त चर्चित पदोन्नति की गयी थी। आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 9.8.79 को सीधे सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त किया गया था। श्री केशव देव से कनिष्ठ कुछ प्रोन्नत सहायक अभियन्तागण को वर्ष 1980 में आयोग के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था किन्तु केशव देव को नही बुलाया गया। जब वर्ष 1984 में साक्षात्कार हुआ तब उन्हें बुलाया गया एवं आयोग ने उनकी प्रोन्नति को अनुमोदित करके उन्हें चयनित कर लिया। तत्पश्चात उन्हें सहायक अभियन्ता के रूप में स्थायी कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय ने इन प्रोन्नत सहायक अभियन्तागण को उक्त चर्चित प्रोन्नतियों की आरम्भिक तिथि से अर्थात निरन्तर स्थानापन्नता की अवधि को जोड़ते हुए ज्येष्ठता अवधारण को उचित ठहराया।

अतः यदि पदोन्नति, विहित कोटा के अन्दर अन्तरिम व्यवस्था के लिए या तदर्थ रूप से,

नियमानुसार चयन के उपरान्त की गयी हो एवं उसके पश्चात उसे आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तो उस व्यक्ति की ज्येष्ठता उसकी तदर्थ प्रोन्नति की तिथि से आगणित की जाएगी, अर्थात निरन्तर

स्थानापन्नता की अवधि को भी जोड़ा जाएगा, जब तक कि नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो।

36. एल० चन्द्र किशोर सिंह बनाम मणिपुर राज्य में प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती से नियुक्त पुलिस अधिकारीगण की ज्येष्ठता का विवाद था, जिसके सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्थानापन्न या परिवीक्षा पर की गयी नियुक्तियों को संपुष्ट कर देने पर निरन्तर स्थानापन्न अवधि की सेवा की ज्येष्ठता निर्धारण करते समय, उपेक्षा नही की जा सकती है, जब तक कि सेवा नियमों में इसके प्रतिकूल उपबन्ध न हों। जहां विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बगैर प्रथम नियुक्ति कर ली गयी हो एवं बाद में ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया जाए, अथवा संपुष्ट कर दिया जाए, तब सम्पूर्ण सेवा अवधि को ज्येष्ठता निर्धारण करते समय आगणित किया जाएगा।

37. सूरज प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू कश्मीर राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी नवीनतम निर्णयजविधि से यह स्पष्ट है कि तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत सेवकों की नियमित प्रोन्नति होने पर,सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये सेवकों के साथ, ज्येष्ठता निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा-

(i) जब प्रोन्नत कोटा के सापेक्ष तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत सेवकों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित प्रोन्नति कर दी जाये अथवा विभागीय चयन समिति के माध्यम से उनकी तदर्थ प्रोन्नति को विनियमित कर दिया जाए तब ऐसी नियमित प्रोन्नति को उस पूर्ववर्ती तिथि से जोड़ा जा सकता है जिस तिथि को प्रोन्नत कोटा में रिक्ति हुई थी। इस प्रकार प्रोन्नत सेवकों की ज्येष्ठता उनकी नियमित प्रोन्नति की उक्त चर्चित पूर्ववर्ती तिथि से आगणित की जाएगी। सीधी भर्ती से नियुक्त

सेवकों की ज्येष्ठता उनकी नियमित अर्थात अधिष्ठायी नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी।

(ii) जब प्रोन्नत कोटा से अधिक सेवकों को तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत किया गया हो तब प्रोन्नत कोटा में उनके लिए हुई पश्चातवर्ती रिक्ति के सापेक्ष उनका विनियमितिकरण किया जायेगा। प्रोन्नत कोटा में जिस तिथि को रिक्ति हुई हो उससे पूर्व की सेवा अवधि जोड़ी नही जायेगी अर्थात ज्येष्ठता के लिए आगणित नही की जायेगी।

(iii) यद्यपि प्रोन्नति कोटा के सापेक्ष तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति की गयी हो किन्तु वह सेवक प्रोन्नति के लिए अर्ह ही न रहा हो तो तब प्रोन्नति की ऐसी सेवा अवधि भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही की जायेगी।

(iv) तदर्थ अथवा स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत सेवक जितनी अवधि तक नियमित प्रोन्नति के लिए उपयुक्त न पाया गया हो वह सेवा अवधि भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही की जायेगी।

(v) सीधी भर्ती के कोटा के सापेक्ष प्रोन्नत सेवक की नियमित सेवा भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही की जाएगी।

ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी निर्णयज विधियों का सार निम्नवत हैः-

(1) जहां सिर्फ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति का उपबन्ध हो वहां,

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियमानुसार चयन के उपरान्त नियुक्त किये गये व्यक्ति की ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी।

(ख) सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके विनियमितिकरण अथवा नियमित नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी।

(2) जहां सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का उपबन्ध हो वहां,

(क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि से आगणित की जाएगी।

(ख) तदर्थ रूप से पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता उसके विनियमितीकरण या नियमित पदोन्नति की तिथि से आगणित की जाएगी।

(3) जहां सीधी भर्ती एवं पदोन्नति, दोनो स्रोत, से नियुक्ति का उपबन्ध हो वहां,

(क) संबंधित स्रोत के लिए विहित कोटा के अन्दर की एक ही भर्ती वर्ष की रिक्तियों के प्रति दोनो स्रोतो से नियमित ढंग से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता कोटा के अनुरूप, नियुक्ति के क्रमानुसार, अवधारित की जाएगी।

(ख) यदि पदोन्नति, विहित कोटा के अन्दर अन्तरिम व्यवस्था के लिए या तदर्थ रूप से, नियमानुसार चयन के उपरान्त की गयी हो एवं उसके पश्चात् उसे आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तब ऐसी नियमित प्रोन्नति को उस पूर्ववर्ती तिथि से जोड़ा जा सकता है, जिस तिथि को प्रोन्नत कोटा में रिक्त हुई थी तत्पश्चात उस व्यक्ति की ज्येष्ठता उसकी तदर्थ प्रोन्नति की तिथि से आगणित की जायेगी, अर्थात निरन्तर स्थानापन्नता की अवधि को भी जोड़ा जायेगा, जब तक की नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो ऐसी तदर्थ प्रोन्नति के पश्चात् सीधी भर्ती से नियुक्त सेवक, प्रोन्नत सेवा से कनिष्ठ होंगे।

(ग) यदि प्रोन्नति विहित कोटा के बाहर की रिक्ति के प्रति के किसी भी ढंग से हुई हो तो उस व्यक्ति की ज्येष्ठता उस तिथि से आगणित की जाएगी

जिस तिथि को पदोन्नति के लिए विहित कोटा में उसके लिए रिक्ति उपलब्ध हो जाए।

(घ) यदि तदर्थ रूप से प्रोन्नत सेवक, प्रोन्नति के लिए अर्ह ही न रहा हो तो प्रोन्नति की ऐसी अवधि भी ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नही की जायेगी।

(ड) यदि पदोन्नति तदर्थ रूप से, नियमों के अनुसार चयन किये बगैर, की गयी हो तब उस व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके विनियमितिकरण की तिथि अथवा आयोग द्वारा नियमित चयन के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से ही आगणित की जायेगी।

(च) सीधी भर्ती से नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता, उनकी नियमित अर्थात मौलिक नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी। तदर्थ ढंग से सीधी भर्ती द्वारा, नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता निर्धारण के लिए आगणित नहीं की जाएगी।

(छ) सीधी भर्ती से नियुक्त सेवक उस तिथि से ज्येष्ठता की मांग नही कर सकता है जिस तिथि को वह सेवा में आया ही नहीं था।

3. ज्येष्ठता सूची- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची बनायी जायेगी। यह ज्येष्ठता सूची पूर्व चर्चित ज्येष्ठता नियमावली के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित करते हुये बनायी जायेगी। यह सूची संबंधित व्यक्तियों को संसूचित करते हुए, उनसे आपत्तियाँ, यदि कोई हो, आमंत्रित की जायेगी। आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु कम से कम सात दिन का समय प्रदान किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, सकारण आदेश द्वारा, इन आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेंगे।